भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3955
जिसका उत्तर गुरुवार, 06 अप्रैल, 2023 को दिया जाना है

विधि विद्यालयों द्वारा निःशुल्क कानूनी सहायता

3955 श्री अब्दुल वहाब :

क्या **विधि और न्यायमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि **:**

(क) देश में राज्य-वार विधि विद्यालयों की संख्या कितनी है ;

(ख) खराब श्रेणी में आने वाले कितने विधि विद्यालयों को विधिज्ञ परिषद बंद करने की योजना बना रही है ;

(ग) छात्रों को पेशेवर कानूनी प्रशिक्षण प्रदान करने वाले कानूनी सेवा क्लिनिक का संचालन करने वाले और सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए निःशुल्क कानूनी सेवाएं प्रदान करने वाले विधि विद्यालयों की संख्या कितनी है ;

(घ) क्या सरकार देश भर में कानूनी सेवा क्लीनिकों को बढ़ावा देने के लिए कोई कदम उठा रही है ; और

(क) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) : बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा उपलब्ध कराए गए देश के लॉ स्कूलों का राज्य-वार विवरण निम्नानुसार है:

राज्य	कॉलेज/सीएलईएस की संख्या
आंध्र प्रदेश	39
अरुणाचल प्रदेश	8
असम	32
बिहार	29
छत्तीसगढ़	36
दिल्ली	29
गोवा	2

गुजरात	117
हरियाणा	55
हिमाचल प्रदेश	23
जम्मू-कश्मीर	13
झारखंड	22
कर्नाटक	124
केरल	28
मध्य प्रदेश	161
महाराष्ट्र	201
मणिपुर	5
मेघालय	7
मिजोरम	1
नागालैंड	3
ओडिशा	33
पुडुचेरी	4
पंजाब	55
राजस्थान	125
सिक्किम	5
तमिलनाडु	38
तेलंगाना	32
त्रिपुरा	3
उत्तराखंड	40
उत्तर प्रदेश	339
पश्चिम बंगाल	53
कुल	1662

(ख) : बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने विधिक शिक्षा के ऐसे केंद्रों की पहचान करने के लिए, जो विधिक शिक्षा के नियमों के अनुसार आधारभूत संरचना, संकाय, पुस्तकालय और अन्य अपेक्षाओं का पालन नहीं कर रहे हैं जिनका अनुपालन विधिक शिक्षा केंद्रों द्वारा किया जाना आवश्यक है, एक उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायमूर्ति की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। वे ऐसे सीएलई का औचक निरीक्षण करते हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा गठित समिति द्वारा एक बार निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद, यह उसके अनुसार कार्रवाई करती है। अन्यथा, नियमित निरीक्षण के रूप में जब यह देखा जाता है कि सीएलई की ओर से कमियां हैं, तो उन्हें संबद्धता का अनुमोदन नहीं दिया जाता है, या जब कमियां ऐसी प्रकृति की नहीं होती हैं या ऐसी प्रकृति की होती हैं जो ऐसी स्थिति में अनुपालन के माध्यम से सुधारी जा सकती हैं, तो कमियों को दूर करने और उन्हें पूरा करने के लिए एक अवसर दिया जाता है तथा ऐसी कमियों को पूरा करने के बाद मामले पर नए सिरे से विचार किया जाता है।

(ग) से (ङ) : बीसीआई द्वारा बनाए गए विधिक शिक्षा नियम, 2008 की अनुसूची-III, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के समक्ष विधि पाठ्यक्रम चलाने की अनुमति हेतु आवेदन, किसी लॉ कॉलेज के लिए अपेक्षित न्यूनतम बुनियादी ढांचे का विस्तृत रूप से उपबंध करती है और विधिक शिक्षा नियम, 2008 की अनुसूची-III का खंड 11 देश के प्रत्येक लॉ कॉलेज को अनिवार्य रूप से विधिक सहायता क्लिनिक स्थापित करने और विधिक सहायता प्राधिकरणों के सहयोग से संस्थान के अंतिम वर्ष के छात्रों द्वारा चलाने हेतु आज्ञापित करता है।

विधिक शिक्षा नियम, 2008 की अनुसूची-III का खंड 11 यहां पुन: प्रस्तुत किया गया है: -

> **11. विधिक सहायता केंद्र: प्रत्येक संस्थान एक वरिष्ठ संकाय सदस्य की देखरेख में एक विधिक सहायता क्लिनिक की स्थापना और संचालन करेगा, जो संस्थान के अंतिम वर्ष के छात्रों द्वारा विधिक सहायता प्राधिकरणों के सहयोग से स्वैच्छिक वकीलों की सूची सहित और अन्य गैर-सरकारी संगठन जो इस संबंध में उस इलाके में लगे हुए हैं, जहां से आम तौर पर संस्थान के छात्र समुदाय आते हैं, क्लिनिक का संचालन कर सकेगा ।**
>
> इसलिए, देश के प्रत्येक लॉ कॉलेज द्वारा मुफ्त विधिक सहायता प्रदान की जाती है।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (विधिक सेवा क्लिनिक) विनियम, 2011 के विनियम 3 में उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के अधीन विधिक सेवा क्लिनिक की स्थापना का उपबंध है। यथा उपबंधित , जिला विधिक सेवा प्राधिकरण निम्नलिखित में विधिक सेवा क्लीनिक स्थापित करेगा-

(क) सभी ग्रामों , या ग्रामों के समूह के लिए, ऐसे ग्रामों के आकार के आधार पर, जिन्हें ग्राम विधिक देखभाल और सहायता केंद्र कहा जाएगा; और

(ख) जेल, शैक्षिक संस्थान, सामुदायिक केंद्र, संरक्षण गृह, न्यायालय, किशोर न्याय बोर्ड और अन्य क्षेत्र, विशेष रूप से जहां लोगों को विधिक सेवा संस्थानों तक पहुंच के लिए भौगोलिक, सामाजिक और अन्य बाधाओं का सामना करना पड़ता है।

उपरोक्त विनियम, 2011 के अनुपालन में, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों ने 1095 शैक्षणिक संस्थानों जैसे लॉ स्कूलों/कॉलेजों/विश्वविद्यालयों में विधिक सेवा क्लीनिक स्थापित किए हैं।

****